(क) क्या सरकार के पास ग्वालियर डवीजन में जिला परामर्शदात्री समिति का कोई प्रस्ताव आया है, जिसमें मांग की गई है कि गुना-मक्सी ब्राड गेज लाइन को शिवपुरी तक बढ़ाया जाये और शिवपुरी से झांसी तक नई रेलवे लाइन बिछाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है और इस सम्बन्ध में की जाने वाली कार्रवाई क्या है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) जी हां ।

(ख) धन की कमी और यातायात सम्बन्धी पर्याप्त औचित्य न होने के कारण निर्माणाधीन गुना-मक्सी लाइन का शिवपुरी और झांसी तक विस्तार करने के प्रश्न पर विचार करना कठिन होगा ।

मध्या प्रदेश में राजहरा से वस्तर तक नई रेल लाइन

1010. **श्री हुकम चन्द कछवाय :**
श्री आर० बी० बड़े :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार के विचाराधीन ऐसी कोई योजना है कि मध्य प्रदेश में राजहरा से वस्तर तक नई रेल लाइन बिछाई जाये; और

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में अन्तिम निर्णय कब तक किया जायेगा ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी) : (क) और (ख). बस्तर क्षेत्र में ढल्ली-राजहरा से दांतेवाड़ा/जगदलपुर तक बड़ी लाइन बनाने के लिए अभी हाल में यातायात सर्वेक्षण पूरा किया जा चुका है और रिपोर्ट अभी रेलवे बोर्ड के विचाराधीन है। इस बीच इस लाइन के लिए अंतिम मार्ग निर्धारण सर्वेक्षण भी शुरू कर दिया गया है। इस सर्वेक्षण के परिणाम मालूम होने के बाद ही इस प्रस्ताव पर आगे विचार किया जा सकेगा ।

Permanent Absorption of Casual Labour in Northeast Frontier Railway

1011. SHRI ROBIN KAKOTI: Will the Minister of RAILWAYS be pleased to state:

(a) total number of casual labour working for more than three years but not yet permanently absorbed in N. F. Railway;

(b) total number of casual labour who have been working in N. F. Railway for more than one year; and

(c) the time by which Government propose to make these casual labour permanent?

THE DEPUTY MINISTER IN THE MINISTRY OF RAILWAYS (SHRI MOHD. SHAFI QURESHI): (a) 1049 as on 31st March, 1972.

(b) 2440 as on 31st March, 1972.

(c) Casual labourers as are found suitable by Screening Committees are appointed to regular Class IV posts. Once appointed to regular posts, they are confirmed in the order of their seniority.

Resignation by the Additional Judge of Mysore High Court.

1012. SHRI DHARAMRAO AFZALPURKAR: Will the Minister of LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS be pleased to state:

(a) Shri H. B. Datar, Additional Judge of Mysore High Court has resigned;

(b) if so, the reasons for the resignation; and

(c) the reaction of Government thereto?

THE MINISTER OF LAW, JUSTICE AND COMPANY AFFAIRS (SHRI H. R. GOKHALE): (a) Yes Sir.

(b) The following reasons were given by the Judge:

(1) When he was appointed as Additional Judge of the High Court, the volume of work in the High Court was very large. Under the stewardship of the present Chief Justice, the pendency has been brought down considerably and his services, in his opinion, were no longer required by the High Court.

(2) There was some unfounded criticism in the State Assembly against his appointment to the High Court and the State authorities did not care to correct the mis-statements made on the floor of the House. In his view, Judges were in helpless position unless those in a position to help and protect them did so. He would not like to be in such a position and was, therefore, resigning.

(c) According to proviso (a) to article 217(1) of the Constitution, a Judge may, by writing under his hand addressed to the President, resign his office. Acceptance of the resignation by the President is not envisaged in the Constitution. The matter is thus entirely within the discretion of the Judge and does not call for any reaction of Government. However, the allegations made in the State Assembly against his appointment to High Court are not true.

लक्सर रेलवे स्टेशनों को पुरकाज़ी हरिद्वार सड़क से जोड़ना

1013. **श्री मुल्की राज सैनी :** क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या लक्सर रेलवे स्टेशन पर रेलवे लाइन के साथ-साथ दक्षिण की ओर एक पक्की सड़क बनाई गई है ;

(ख) इस सड़क को पुरकाज़ी से हरिद्वार जाने वाली पक्की सड़क से क्यों नहीं मिलाया गया है ;

(ग) क्या कुछ लोगों ने सड़क की जमीन पर नाजायज कब्जा कर रखा है; और

(घ) सरकार का विचार कब तक इस सड़क को पूरा करने का है ?

रेल मंत्रालय में उपमंत्री (श्री मुहम्मद शफी कुरेशी): (क) जी हां।

(ख) रेलवे लाइन के साथ-साथ बनी हुई पक्की सड़क रेलवे बस्ती के उपयोग में आती है और इसलिए रेलवे की दृष्टि से इसे पुरकाज़ी-हरिद्वार रोड से जोड़ना आवश्यक नहीं समझा गया है।

(ग) सड़क के लिए रेलवे की कोई जमीन अलग से नहीं रखी गई है। लेकिन अभी हाल में यह नोटिस में आया है कि लक्सर में पूर्व केबिन के पीछे 537½ वर्ग फुट पर अतिक्रमण किया गया है ।

(घ) प्रश्न नहीं उठता ।